न्यायालय माननीय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

124

नि.प्र.क्रं. निगरानी/1074-I-15 सन् 2015

राजू यादव तनय श्री उदल यादव आयु 52 वर्ष

निवासी ग्राम भियांताल तह0 राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0) ----------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 ----------अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

स्वप्रेरणा निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय के स्व निगरानी प्रकरण कं. 95/अ-19(4)/05-06 एवं आदेश दिनांक 23.3.2015 से दुखित होकर एवं निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

आवेदक सादर निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है –

1– यह कि भूमि खसरा नं. 1424/2 रकवा 1.616 है0 लगान 8.04 रूपये स्थित मौजा पीरा रा.नि.मं. चन्द्रनगर तह0 राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. की आराजी है जो आवेदक /निगरानीकर्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिस पर गेहूँ चना की फसल पैदा होती है

2-- यह कि उक्त आराजी पर आवेदक का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है तथा जो वर्ष 1979–80 से आवेदक के पिता उदल यादव के नाम राजस्व रिकार्ड मे कब्जा दर्ज है चूँकि उक्त भूमि पर आवेदक/निगरानीकर्ता का पुश्तैनी कब्जा होने व भूमिहीन होने के कारण दिनांक 19.10.2000 को तहसीलदार महोदय राजनगर द्वारा विधिवत् इश्तहार का प्रकाशन कराकर भूमि स्वामी अधिकारों का पट्टा प्रदान किया गया थाजिसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मोजा पीरा के गॉव वालो के द्वारा या शासन द्वारा आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी मे लेकर पट्टा निरस्त करने मे कानूनी भूल की है। जबकि कानूनन प्रकरण 14 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी मे नहीं लिया जा सकता है।

3– यह कि आवेदक ग्राम भियांताल का निवासी है जो पीरा गॉव से लगा हुआ है तथा सरहदी काश्तकार है इस कारण से पीरा गॉव के काश्तकारों के पट्टे भियांताल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1074-एक/2015 जिला छतरपुर राजू यादव विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 95/अ-19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 23-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-05-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
7.1.19